150

प्रपत्र–2

# कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

क्रमांक:–जिशिअ / प्राशि / सी / मान्यता / आरटीई / 2012 / 289 दिनांक:– 26.11.12

अध्यक्ष / प्रबंधक,
प्रबंध समिति,
श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति, किसान कॉलोनी, सीकर

विषय:– नियम 8–क के उप –नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 15-9-2011 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में ,मै. टैगोर इन्टरनेशनल सैकण्डरी स्कूल नवलगढ़ रोड सीकर (विद्यालय का नाम और पता) को — से — तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अध्यधीन होगी:–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्वता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय ,कक्षा–1 में या ,यथास्थिति ,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र–संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चत करेगा कि:–
   (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
   (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा,
   (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
   (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
   (E) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये,
   (F) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें,परन्तु, वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

Ashok

सचिव
श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति

Principal
Tagore International Sr. Sec. School
Kisan Colony, SIKAR
Aff. No. -1731167

न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है,वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार ,5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे,

(G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है, और

(H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक कियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय,समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यकम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय ,2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है:–
(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 14576 वर्ग फीट (2)कुल निर्मित क्षेत्र 13680 वर्ग फीट
(3) खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र किराये पर उपलब्ध (4) कक्षा के कमरों की संख्या 18
(5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष उपलब्ध है।
(6) लडके और लडकियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर उपलब्ध है।
(7) पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। (8) मिड–डे मील पकाने के लिए रसोईघर उपलब्ध है।
(9)अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता हाँ

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिए जायेंगे।

11. विद्यालय,सोसाइटी रजिस्टीकरण अधिनियम,1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21),राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय ,किसी व्यक्ति ,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जावेगी।

14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या SKR111 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय ,ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक ,प्रारंभि शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ,यदि कोई हो ,सुनिश्चित करें।

17 अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

नोट :- आर.टी.ई. के [illegible] मापदण्ड 31 मार्च 2013 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करने होंगे।

सचिव
श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति

Principal
Tagore International Sr. Sec. School
Kisan Colony, SIKAR
Aff. No. -1731167

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा ,सीकर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं08(55) शिक्षा–5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005 एवं 23/5/2007 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्तमान परिसर के अलग कक्षा कक्षों में पूर्व में स्वीकृत माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के साथ–साथ माध्यमिक (कक्षा 6 से 10)/उच्च माध्यमिक (कक्षा 6 से 12) स्तर तक उनके सम्मुख अंकित अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) से अध्ययन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

| क्र.सं. | जिला | विद्यालय का नाम | अति0 माध्यम में चाहा गया विद्यालय स्तर | पूर्व स्वीकृत माध्यम | स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikar | विवेकानन्द उमावि0, औद्योगिक क्षेत्र, नीमका थाना, सीकर | उच्च माध्यमिक | हिन्दी | अंग्रेजी |
| 2 | Sikar | टैगोर इन्टरनेशनल सी.सै.स्कूल, किसान कॉलोनी | उच्च माध्यमिक | हिन्दी | अंग्रेजी |
| 3 | Jaipur | जगदीश पब्लिक सी.सै. स्कूल, दूदू, जयपुर | उच्च माध्यमिक | हिन्दी | अंग्रेजी |
| 4 | Hanumangarh | अमृत मॉडल सैकण्डरी स्कूल, नगीना मार्ग, हनुमानगढ जंक्शन | माध्यमिक | हिन्दी | अंग्रेजी |

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय–समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/मा/अ–3/भनावमा/मूल/2013 दिनांक : 27/1/14

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को
4. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

सचिव
श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति



Principal
Tagore International Sr. Sec. School
Kisan Colony, SIKAR
Aff. No. -1731167